

31/07/20

पत्रावली पेस हुई । न. न. फा. पत्र का मूल  
दावा 09 RS के तहत शारिज हो चुका  
है। अतः न. न. फा. पत्र इसी स्तर पर  
शारिज होकर दाखिल 9 फरर बिदा  
जाता है।



2/11  
उपखान अधिकारी  
कराला (राज्य)